संख्या– 38 /xxxvi(1)एक/09–563/2001

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2009

विषय– उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली नैनीताल के लिये सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1–एक (10)छत्तीस (1) / न्याय अनु0/2004 दिनांक 26–10–2004 एवं शासनादेश संख्या– 1–एक (10)/ छत्तीस (1)/ 2005 –563 / 01 दिनांक 31–10–2005 द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल हेतु सृजित अस्थायी पदों के अनुक्रम में शासनादेश संख्या– 42/xxxvi(1)एक/08–563/2001 दिनांक 30 जनवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिये अस्थायी रूप से सृजित सभी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि ये बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1–3–2009 से 28–2– 2010 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेतर–800–अन्य व्यय–09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1988 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92,(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 38(1)/xxxvi(1)एक/09–563/2001समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव,